भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2404
13/03/2026 को उत्तरार्थ

विषयः पीएमएफबीवाई के अंतर्गत बीमा भुगतान
240. श्री रामजी लाल सुमनः
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के लिए आवंटित राशि का ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान किसानों से प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनियों को कितनी राशि प्राप्त हुई है;
(ग) विगत पाँच वर्षों के दौरान हुई फसल हानि के लिए किसानों को बीमा क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की गई राशि कितनी है;
(घ) विगत पाँच वर्षों में बीमा कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ कितना है;
(ङ) योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम और न्यूनतम बीमा क्षतिपूर्ति राशि कितनी है; और
(च) विगत पाँच वर्षों के दौरान 100 रूपए से कम की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या कितनी है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा आबंटित निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है -

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
2020-21	15695.00	15307.25
2021-22	16000.00	15989.39
2022-23	15500.00	12375.76
2023-24	13625.00	15,000.00
2024-25	14600.00	15,864.00

(ख) और (ग): PMFBY के तहत विगत पांच वर्षों के दौरान किसानों से प्राप्त प्रीमियम और बीमा कंपनियों द्वारा किसानों को भुगतान किए गए दावों का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	किसानों से प्राप्त बीमा प्रीमियम	किसानों को भुगतान किए गए दावे
2020-21	4,145	20,527
2021-22	3,735	20,567
2022-23	3,988	19,874
2023-24	3,211	20,813
2024-25	3,345	14,197

(घ) PMFBY के अंतर्गत, योजना कार्यान्वयन कर रही सभी बीमा कंपनियां विभिन्न प्रकार के सामान्य बीमा व्यवसाय/पॉलिसियां कर रही हैं। इस प्रकार, इन कंपनियों का समग्र लाभ/नुकसान या प्रीमियम फसल बीमा सहित व्यवसाय के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए कंपनी के समग्र अंडरराइटिंग व्यवसाय में लाभ/नुकसान के कारण होता है। इसके अतिरिक्त, फसल बीमा गैर-निवारणीय प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसानों के लाभ के लिए जोखिम को कम करने का एक प्रमुख साधन है। PMFBY/RWBCIS के प्रावधानों के अनुसार, प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र और राज्य सरकार के हिस्से के साथ-साथ किसानों से प्रीमियम का भुगतान संबंधित बीमा कंपनी को किया जाता है ताकि प्राकृतिक और जलवायु जोखिम के कारण फसल को हुए नुकसान की वजह से जोखिम की स्वीकृति और उसके बाद दावों का भुगतान किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, एकत्र किए गए प्रीमियम और भुगतान किए गए दावों के बीच का अंतर बीमा कंपनियों के लिए मार्जिन/लाभ नहीं हो सकता है क्योंकि पुनर्बीमा की लागत और प्रशासनिक लागत होती है जो सामान्यत सकल प्रीमियम के 10% से 12% के बीच होती है। यह लागत भी बीमा कंपनियों को वहन करनी होती है। वर्ष 2024-25 के दौरान योजना के तहत एकत्र किए गए प्रीमियम के अनुसार कुल फसल बीमा व्यवसाय में से लगभग 43 प्रतिशत सामूहिक रूप से केवल 5 सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा साझा किया जाता है, जिसमें भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड भी शामिल है। योजना के प्रचालन दिशानिर्देशों में मानक PMFBY के अलावा 3 वैकल्पिक जोखिम अंतरण मॉडल नामतः कप एंड कैप मॉडल (80:110), कप एंड कैप मॉडल (60:130) और लाभ और नुकसान हिस्सेदारी मॉडल का प्रावधान है, जिसके तहत निश्चित सीमा से कम के दावों के मामले में, सब्सिडी के रूप में सरकार द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम का हिस्सा राज्य के खजाने में वापस जाएगा। राज्यों को इनमें से किसी भी एक मॉडल को चुनने का विकल्प प्रदान किया गया है। इन मॉडलों को अपनाने के कारण, प्रीमियम दरों में महत्वपूर्ण कमी आई है, जिससे भारत सरकार और राज्यों का व्यय कम हो गया है।
(ङ) योजना के प्रावधानों के अनुसार, अधिकतम दावों की कोई सीमा नहीं है और यह बीमित राशि के मूल्य तक जा सकती है। इसके अतिरिक्त, 1 फरवरी, 2026 से न्यूनतम दावों को 100 रुपये प्रति सीजन/प्रति योजना तक सीमित कर दिया गया है ताकि बहुत कम मूल्य के दावों का भुगतान न किया जाए। इस राशि को या तो अगले संगत सीजन के किसान प्रीमियम के साथ समायोजित किया जा सकता है या उसी किसान की अगले सीजन की दावा राशि में जोड़ा जा सकता है।

तथापि, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने 1000 रुपए प्रति किसान/प्रति मौसम की न्यूनतम दावा राशि निर्धारित की है और संबंधित राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित किए अनुसार इसमें भिन्नता हो सकती है।

(च): वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक PMFBY के तहत दावों के निपटान के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर विकसित डिजीक्लेम मॉड्यूल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार; 1,46,893 किसानों को 100 रुपये से कम के दावे मिले, जो कुल किसानों का 0.16 प्रतिशत है, जिन्हें इसी अवधि के दौरान PMFBY के तहत किसी भी राशि का दावा प्राप्त हुआ है।

*****